

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण बीकानेर के “बॉल क्ले” व्यवसाय पर संकट

बीकानेर की क्ले खदानों से रोज 400 ट्रक निकलते थे, अब 50-60 ही गुजरात के मोरबी जा रहे हैं

बीकानेर, (निसं)। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध ने बीकानेर के “बॉल क्ले” व्यवसाय पर संकट खड़ा कर दिया है। गुजरात के मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे वहां के व्यवसायियों ने ऑर्डर कैंसिल कर बीकानेर से क्ले मंगाना बंद कर दिया है। बीकानेर से रोजाना 400 ट्रक क्ले गुजरात जाते थे और अब 50-60 ही रह गए हैं।

टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद के लिए सबसे जरूरी खनिज “बॉल क्ले” को बीकानेर में करीब 241 खानें हैं। यहां से हर साल 40 लाख टन क्ले गुजरात के सिरेमिक हब मोरबी भेजी जाती है, जहां टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इससे मोरबी में सालाना

■ मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद

■ बीकानेर का क्ले व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ाया, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब सात लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हुआ

60 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। पिछले 25 दिन से चल रहे युद्ध के कारण मोरबी में गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। अब फैक्ट्री मालिकों ने बीकानेर के खान मालिकों को माल भेजने से मना कर दिया है। अब 50-60 ट्रक ही मोरबी जा रहे हैं। ये गाड़ियां भी मोरबी में वे लोग मंगा रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक था। अगर युद्ध लंबा चला तो बीकानेर से क्ले का डिस्पैच पूरी तरह बंद हो जाएगा। बीकानेर का क्ले

व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ा गया है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब 7 लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

देश में करीब सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली 1000 इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकांश गुजरात के मोरबी में ही हैं। करीब 25 इकाइयां राजस्थान सहित अन्य राज्यों में हैं। प्रत्येक इकाई रोजाना औसतान 20,000 वर्ग मी. टाइल्स का उत्पादन करती है। इसके लिए रोजाना 25 मीट्रिक टन

पेट्रोलियम गैस की आवश्यकता होती है। आपूर्ति में रुकावट से उत्पादन की लागत बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने से बड़ा आर्थिक और रोजगार संकट खड़ा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लागत में भारी वृद्धि हो गई है। डॉलर महंगा होने और ईंधन लागत बढ़ने से आयातित कच्चे माल महंगे हो गए हैं। सिरेमिक उत्पाद का 30 प्रतिशत निर्यात होता है।

क्ले व्यवसायी राजेश चूरा का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो जल्दी ही खानें बंद करने की नौबत आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो करीब 7 लाख लोग प्रभावित होंगे। क्ले की एक खान से कम से कम 3000 लोगों का रोजगार जुड़ा है। बीकानेर में 241 खानें हैं तो उनसे जुड़े लोगों से कम होना जा रहा है। इसका बड़ा कारण मोरबी में सिरेमिक इकाइयों का बंद होना है।

रहे हैं, वो भी जल्दी ही बंद कर देंगे। मनोज एरवाडियां, सिरेमिक एसेसिएशन अध्यक्ष, मोरबी, गुजरात ने बताया कि मोरबी में टाइल्स और सिरेमिक की करीब 600 इकाइयां बंद कर दी गई हैं। जब तक गैस की किल्लत दूर नहीं हो जाती, इन्हें शुरू करना मुश्किल होगा। बीकानेर के क्ले व्यवसायियों को डिस्पैच रोक देने के लिए कहा गया है। जिन फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक है, केवल वही क्ले मंगा रहे हैं। गैस आपूर्ति शुरू सुचारू होने के बाद भी सिरेमिक व्यवसाय पटरी पर आने में 4-6 माह का समय लगेगा।

एमपी पुरोहित, खनिज अभियंता, बीकानेर का कहना है कि रवना और उत्पादन के आंकड़ों के मुताबिक क्ले का डिस्पैच सामान्य से कम होना जा रहा है। इसका बड़ा कारण मोरबी में सिरेमिक इकाइयों का बंद होना है।

पोकरण : सड़क दुर्घटना में दो की मौत, आठ घायल

चाचा गांव के नजदीक बोलरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई

पोकरण, (निसं)। पोकरण के पास चाचा गांव के नजदीक बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बोलरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में दस लोग सवार थे। घायलों में 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल हैं। हादसा सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में हुआ, जिसमें तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गई। हादसे में मृतकों की पहचान मोहन सिंह और गोपाल सिंह के रूप में हुई है। सभी घायल थर्डर्यात गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो रामदेवरा

■ सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा

से एक शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पोकरण के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार पोकरण में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत

कोटा, (निसं)। सिमलिया थाना इलाके में नहर निर्माण कार्य के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। हादसे में चालक हुए चालक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश निवासी रामवीर कोटा में मजदूरी के लिये आया था। रामवीर ट्रैक्टर चालक था, जो सिमलिया क्षेत्र में चल रहे नहर निर्माण में कार्य के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसके नीचे दबने से चालक रामवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। रामवीर को घायलवास्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सिमलिया थानाधिकारी नन्द सिंह ने बताया कि उत्तरप्रदेश निवासी रामवीर नहर निर्माण साइट पर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक उसके नीचे दब गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

श्रीगंगानगर में ‘रेबीज’ से डॉंग के मालिक की मौत

दस दिन पहले कुत्ते (श्वान) की भी मौत हो गई थी, संपर्क में आने से युवक को भी रेबीज हो गया था

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां पालतू कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से उसके मालिक की भी मौत हो गई। इससे 10 दिन पहले कुत्ते (श्वान) की भी मौत हो गई थी। युवक हवा, पानी से डरने लगा था। युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था, जहां वह असाध्य व्यवहार करने लगा, इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर युवक के परिजनों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं। वेब और स्टूचर को भी बाहर निकाल कर रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, श्रीगंगानगर के रहने वाले युवक ने घर में कुत्ता पाला हुआ था। कुत्ते को रेबीज था, इसके चलते उसके कुत्ते की 10 दिन पहले

■ युवक हवा-पानी से डरने लगा था, अस्पताल में भी आक्रामक हो गया

होती थी। पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ सहित आधा दर्जन डॉक्टरों ने मरीज को देखा, लेकिन रेबीज की आक्रामक स्टेज में इलाज संभव नहीं हो पाया। रामजैसी रूम में ही युवक की मौत हो गई।

पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ ने बताया कि परिजनों ने बताया था कि वे हवा-पानी से डरने लगा था और आक्रामक भी हो गया था। मरीज के साथ आए परिजनों को तुरंत रेबीज बचाव इंजेक्शन लगाए गए हैं। इमरजेंसी कक्ष को हाइपो से साफ करवाया गया। बैड और स्टूचर को बाहर निकालकर सैनिटाइज किया गया। शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। गुरुवार को शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।

महिला और किशोरी ने आत्महत्या की

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेंट के मथानिया और सदर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और किशोरी ने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। संबंधित थाना पुलिस ने परिजन की तरफ से दर्ज कराई मर्ग रिपोर्ट पर कार्रवाई की और शव सुपुर्द किए वहाँ पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है।

मथानिया पुलिस ने बताया कि बिजवाडियां की रहने वाली 28 वर्षीय भवना पत्नी टीकमराम माली ने अपने घर में फंदा लगा लिया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। रिश्तेदार बस्तीनगर बड़ला बासनी ओसियां निवासी प्रेमराम पुत्र कुंभाराम माली ने मर्ग में रिपोर्ट दी है। दूसरी तरफ से सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि भीतरी क्षेत्र नया बास रामदेव की गली में रहने वाली 16 साल की किशोरी ने भी अपने घर में फंदा लगा लिया। पता लगने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। उसके रिश्तेदार ने मर्ग रिपोर्ट दी है।

जोधपुर में सूने घर से जेवर व सामान चोरी

परिवार शादी समारोह में गांव गया हुआ था, पड़ौसी ने सूचना दी

जोधपुर, (कासं)। शहर की पुरानी आशापूर्णा टाउनशिप में एक सूने घर में चोरों ने सैध लगाकर वहां से दो किलो चांदी के आभूषण, बर्तन के साथ सोने के आइटम चोरी कर ले गए। परिवार के लोग सीकर अपने गांव शादी समारोह में गए हुए थे। पड़ौसी ने घर के ताले टूटने की जानकारी दी। इस पर वे जोधपुर लौट आए और एयरपोर्ट थाने में चोरी की रिपोर्ट दी है।

एएसआई भंवरराम ने बताया कि पुरानी आशापूर्णा टाउनशिप, शिकारगढ़ निवासी अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। इसमें बताया कि वह परिवार सहित अपने गांव सीकर गया हुआ था, परिवार में शादी समारोह के चलते घर तकरीबन पांच-सात दिन से सूना था। इस बीच पड़ौसी ने सूचना दी कि घर के ताले टूट पड़े हैं। यहां आने

युवती की संदिग्ध मौत, युवक हिरासत में

जोधपुर, (कासं)। शहर के एक होटल में मंगलवार को एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसका एमजीएच में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया गया। संदेह है कि युवती से दुष्कर्म किए जाने से उसकी मौत हो गई। मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही पता लग जाएगा। पुलिस ने होटल में उसके साथ रहते युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। दोनों ग्रामीण परिवेश से हैं। मृतक के भाई की तरफ से दुष्कर्म और हत्या किए जाने की आशंका में केस दर्ज कराया गया है।

उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मंगलवार को एक होटल में युवती संदिग्ध मौत की जानकारी पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। शव को बाद में एमजीएच मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया। मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही पता लग जाएगा। मृतक के भाई ने एक युवक पर जोकि होटल में उसकी बहन के साथ रूका था, उस पर दुष्कर्म और हत्या की आशंका में रिपोर्ट दी है। थानाधिकारी ने बताया कि संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

अज्ञात व्यक्ति का शव मिला

नापास, (निसं)। रेलवे स्टेशन के पास बुधवार दोपहर अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। उसे राजकीय चिकित्सालय नापासर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार, करीब

50 वर्षीय यह व्यक्ति मुसाफिरखाने के सामने बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। आसपास के लोगों ने तुरंत नापासर पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर नापासर थाना पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर रिखब दास मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की।

राजस्थान सरकार
कार्यालय- राजकीय महाविद्यालय करौली (322241)
Email ID-pgcollogokarauli@gmail.com
क्रमांक- 2025-26/519 दिनांक-16.03.2026
(E-tender NIB No. 02/2025-26)
Sealed Single Stage Two-envelopes and unconditional online Bids for Rate contract for upto 31.03.2027 provide 'Un-Skilled, Semi-Skilled, Skilled And Highly skilled manpower for Government College Karauli area invited from interested bidders upto 27.03.2026 at 01.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the Procurement Portal (http://sppg.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 25 Lakh.
UBN NO. ECD2526SLO800624
Principal
Government College, Karauli

DIPRC/5759/2026
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड रामगंज मण्डी (जिला कोटा)
क्रमांक- 1349 दिनांक-18.03.2026

निविदा सूचना संख्या 23/2025-2026
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सहक/भवन कार्य के अप्रकृत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदक एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिभूत संचालित/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/इसक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इकाई में पंजीकृत संवेदकों को जिला राजस्थान सरकार के "ए" "बी" "सी" एवं "डी" श्रेणी के संवेदकों के समक्ष हो से निर्धारित प्रथम में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया एवं अनिवार्य निविदा निम्न कार्यों की आमंत्रित की जाती है।
निविदा से सम्बन्धित सार्वजनिक वेबसाइट "www.diprpline.org." "www.eproc.rajasthan.gov.in" तथा "www.pwd.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
1. PWD2526WSOB25949, 2. PWD2526WSOB25950, 3. PWD2526WSOB25951 (आर.के. मीणा)
4. PWD2526WSOB25952, 5. PWD2526WSOB25953
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड रामगंज मण्डी

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण
इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर
नर्मदा कॉलोनी, समाज कल्याण विभाग के पीछे जालोर (राज.)। ई-मेल-dcpujalore@gmail.com
क्रमांक-जि.बा.सं.ई./ जालोर / 2025-26/733 दिनांक-17.03.2026
ई-निविदा सूचना सं. 01/2025-26

कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर के अधीन संचालित चाईलड हेल्थ लाईन (098 24x7) सेवा के संचालन हेतु एक वर्ष के लिए जॉब बैसिस पर मानव संसाधन (प्रोजेक्ट मेनेजमेंट युनिट) उपलब्ध करने हेतु ई-निविदा के माध्यम से पंजीकृत / रजिस्टर्ड संवेदक / बोलीदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।
ई-निविदा का संचालन विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	जॉब बैसिस पदों की संख्या	जॉब बैसिस पदों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति राशि (रुपये में)	बोली प्रत्यक्ष शुल्क (रुपये में)	ई- निविदा प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	
1	project coordinator	01					
2	counselor	01	20.88 लाख				
3	child helpline supervisors	03			41,760/-	500/-	500/-
4	case worker	03					

NIB NO-CE2526SLO800114
UBN NO-CE2526SLO800113

क्र. सं.	कार्य विवरण	जॉब बैसिस पदों की संख्या	जॉब बैसिस पदों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति राशि (रुपये में)	बोली प्रत्यक्ष शुल्क (रुपये में)	ई- निविदा प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	डाक्यूमेंट डाउनलोड कराने/प्रिंटिंग एवं समय			17.03.2026		संय 5.00 बजे	
2	बिड सबमिशन स्टार्ट दिथि एवं समय			17.03.2026		संय 5.00 बजे	
3	डाक्यूमेंट डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.00 बजे	
4	कार्यालय में प्रिंटिंग/राशि प्रोसेसिंग फीस एवं टैंडर फीस जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.00 बजे	
5	बिड सबमिशन की अंतिम तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.00 बजे	
6	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.30 बजे	
7	विजयी बिड खोलने की तिथि एवं समय					Will be intime later to the Technically Qualified Bidders	

निविदा संबंधी विस्तृत सूचना दरखास्त मच यहें <https://sppg.rajasthan.gov.in> व <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड की जा सकती है। निविदा <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है।
देशी तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा निविदा प्रिंटिंग/राशि का मूत डिमांड ड्राफ्ट जो की Assistant Director, District Child Protection Unit & Child Emp. Department Jalore के नाम एवं जालोर में देया हो कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराया जायेगा तथा निविदा प्रत्यक्ष शुल्क ऑनलाइन ई-भार से वालान 500/- रूपये Assiant Director, District Child Protection Unit & Child Emp. Department Jalore के नाम से एवं RISE ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि ऑनलाइन ई-ग्रास से वालान 500/- रूपये Managing Director, RISL, Jaipur Payable at Jaipur के नाम से हो निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई होगी। यह निविदा निर्धारित तिथि व समय को जो निविदादाता उपस्थित होंगे, के समक्ष खोली जायेगी।
किसी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपान समिति को सम्पूर्ण अधिकार होगा। उक्त निविदा के अन्तर्गत चाहा गया कार्य पूर्णतः जॉब बैसिस आधार पर है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है कि उक्त जॉब बैसिस कार्य हेतु संवेदक द्वारा उपलब्ध करावये जाने वाले जॉब बैसिस वर्कर भविष्य में स्थायीकरण / राज्य कर्मचारियों के समक्ष विविध अथवा अन्य परिलान प्राप्त करने हेतु किसी भी आधार पर विधिक अथवा एथासैतिक रूप से अधिभूत नहीं होगी। यदि इस संदर्भ में जॉब बैसिस वर्करों द्वारा उक्त/राशि अंतित निवेश व स्पर्धिकरण के विपरित कोई मांग अथवा विधिक दावा किया जाता है, तो उनके द्वारा किया जाने वाला ऐसा पर्याप्त अथवा प्रयोजनवा भाषा जाकर निरकानूनी होगा और इसके लिए संबंधित संवेदक/एम/एड/एस/डी/ई उतरदायी होंगे, यह कार्यालय/विभाग किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। तकनीकी एवं विधायी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने/घोषित होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।
सहायक निदेशक
DIPRC/5867/2026 जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/803 दिनांक-25.03.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 4 (1) वि.स/आव/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-सम्बन्धी विधेयक 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाइन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	28-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रविष्टि/प्रविष्टिकरण एवं बरिारी पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना पड़ेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सद्युक्त राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> पर "Citizen" कटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।

2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणों के बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जितनेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाइन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.rajasthan.gov.in> पर बोलीदाता के ऑनलाइन भूतलान द्वारा इस वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विधिय प्रकर को तकनीकी समस्याओं से बचा सकेगा। ऑनलाइन भूतलान नहीं होने या अनिष्ट तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहे होंगे।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करवानी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करवानी होगी।
9. निर्धारित समय में वापिस राशियां यथा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न करने पर स्वीकृति निरस्त कर सम्पन्न जमा राशि अनवरत की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुवर्षिकों को वर्ष क्रमांक: 2027-28 व 2028-29 से लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसम्बन्धी विधेयक 2025-29 में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय सिविल अधिनियम के तहत अनुबंध करने की घोषणा रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निदेश <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त उच्चा, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. मदिरा कलस्टर के कन्वेंशन हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मद्यसम्बन्धी विधेयक 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय सिविल अधिनियम के तहत अनुबंध करने की घोषणा रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निदेश <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त उच्चा, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसम्बन्धी विधेयक 2025-29 में नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत नये नियमों के अनुसार रहेगें।

DIPRC/2026 आबकारी आयुक्त, उदयपुर

उदयपुर के भल्लों का गुडा में पिंजरे में कैद हुआ लैपर्ड

कई दिनों से लैपर्ड पशुओं का शिकार कर रहा था

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर के पास भल्लों का गुडा इलाके में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहा लैपर्ड आखिरकार बुधवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में राहत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार कुराबड़ मार्ग पर स्थित इस गांव में कई दिनों से लैपर्ड का लगातार विचरण देखा जा रहा था। रात के अंधेरे में वह बस्ती के करीब पहुंचकर आसपास के पशुओं का शिकार कर रहा था। इससे ग्रामीणों का डर इतना बढ़ गया था कि शाम ढलते ही लोग घर से बाहर निकलने से करारने लगे थे। लगातार शिकार्यों और लोगों में फैले भय को देखते हुए वन विभाग ने तीन दिन पहले जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था। बुधवार सुबह ग्रामीणों को पिंजरे से गुराहट की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचकर देखा तो

■ वन विभाग ने तीन दिन पहले जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था, जिसमें लैपर्ड कैद हो गया

लैपर्ड पिंजरे में फंस चुका था। सूचना मिलते ही वनपाल रीना कुंवर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और लैपर्ड को सुरक्षित कब्जे में ले लिया। बाद में उसे सज्जनाढ़ बायोलाॅजिकल पार्क में पहुंचा दिया। लैपर्ड के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, लेकिन वन विभाग ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है। खासकर सुबह और शाम के समय बाहर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी रखें।

लाखों की अफीम सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। रायला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार से 592 ग्राम अविध अफीम बरामद कर हरियाणा निवासी तीन अंतरराष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तीन लाख रुपये आंकी गई है